न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 139 / 2022 दायर दिनांक 06.10.2022

उनवान

1. इन्द्रमल पिता कॅवलचन्द जाति लोढा (महाजन) आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी।

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थी।

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 :–

निर्णय दिनांकः 25.01.2023

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन में स्थित खाता संख्या 332 में स्थित आराजी खसरा नम्बर 140, 142, 143, 154, 681 कुल किता 5 कुल रकबा 2.27 है0 स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम पर 1/3 हिस्से से खातेदारी से दर्ज होकर कब्जे काश्त में है। यह कि उपरोक्त खाते में प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलती से गुलाबचन्द दर्ज कर दिया गया है जो गलत है। जब कि प्रार्थी के पिता का सही नाम कॅवलचन्द है। एवं प्रार्थी के अन्य सभी सरकारी दस्तावेज पेन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम सही नाम कॅवलचन्द दर्ज है। इस कारण राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज करवाया जाना आवश्यक हो गया है।

यह कि उपरोक्त दुरूस्ती करने से किसी भी अन्य सह खातेदार के हिस्से पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। एवं प्रार्थी को अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को रहन, विक्रय, दान या अन्य किसी प्रकार से स्थानान्तरण करने में किसी प्रकार की असुविधा भविष्य में नहीं होगी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:43:41 IST
Reason: SelfAttested

यह कि राजस्व रेकार्ड में उपरोक्त दुरूस्ती किये जाने हेतु प्रार्थी ने दिनांक 16.09.2022 को अप्रार्थी से निवेदन किया तो उन्होनें असमर्थता जाहिर की जिससे कानूनी सलाह लेकर बिना किसी विलम्ब के यह आवेदन श्रीमान् से यहॉ प्रस्तुत किया जा रहा है। जिससे बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 16.09.2022 से पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या एक में वर्णित मौजा लांगच में स्थित आराजी खसरा नम्बर 140, 142, 143, 154, 681 कुल किता 5 कुल रकबा 2.27 है0 जो प्रार्थी के नाम पर 1/3 हिस्से से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं उसमें प्रार्थी के पिता का नाम गुलाबचन्द के स्थान पर कॅवलचन्द दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया। प्रार्थी ने साक्ष्य में चालु जमाबन्दी ग्राम लांगच की खाता संख्या 332 जिसमे नाम अशुद्ध है, खाता संख्या 14 जिसमें नाम शुद्ध है, व आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत किये। सहखातेदार झमकूलाल पिता मोहनलाल व मिठुलाल पिता मोहनलाल व स्वयं प्रार्थी का शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी का खाता संख्या 332 में इन्दरमल पुत्र गुलाबचन्द जाति महाजन दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी का नाम इन्दरमल पिता कॅवलचन्द प्रस्तुत दस्तावेजों, सहखातेदार के शपथ पत्र व खाता संख्या 14 से स्पष्ट होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी के खाता संख्या 332 में दर्ज इन्दरमल पिता गुलाबचन्द जाति महाजन के बजाय इन्दरमल पिता कॅवलचन्द जाति महाजन दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन व शेष बदस्तुर रहें तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार कपासन को पृथक से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:43:41 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official